3/14/23, 8:26 PM Dublicate Copy



बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंचल अधिकारी का कार्यालय

Sonpur, Saran

Dublicate Copy 14/03/2023

आदेश

जिला : Saran अचंल : Sonpur दाखिल खारिज केस संख्या : 3567 वित्तीय वर्ष : 2022 - 2023

तिथि आदेश पर की 14-Mar-2023 गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा खरीका, थाना सं० 82

खाता सं०	प्लाट/खेसरा सं०	रकबा
313	468	0 एकड़,3.533 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
BABU RAM LAGAN SINGH	पिता/बाप/अबू	BABU RAM DHAYAN SINGH

है | जिन्होनें निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या- 3476, दिनांक- 20/06/1958 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खितयानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
अशोक कुमार सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह
सुरेन्द्र कुमार सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह
उपेन्द्र कुमार सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह
राधाशरण सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह
नागेन्द्र कुमार सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन प्राप्त है | आपितकर्ता के आपित के आलोक में आवेदक से मूल दस्तावेज की मांग की गई जिसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया अतः इस आधार पर दाखिल ख़ारिज की स्वीकृति दी जाती हैं|

3/14/23, 8:26 PM Dublicate Copy

अतः वार्षिक लगान <u>25 रुपये</u> अलावे सेस के साथ नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है ।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है|। ह0 कर्मचारी पंजी Ⅱ में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें ।

Digitally Signed by : VISHWAJEET SINGH अंचलाधिकारी Sonpur